

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (बी-256) अलेसे-1/ 6935-43

दिनांक:- 27.07.15

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक एफ.2(क)(सेवानिवृत्त) अलेसे-1/7682-7886 दिनांक 05.01.15 तथा आदेश संख्या 130/2014-15 द्वारा जारी सेवानिवृत्ति आदेश में क्रम संख्या 41 पर अंकित श्री बजरंग सिंह शेखावत (लिनक न. 6604) के अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर दिनांक 31.07.2015 से सेवानिवृत्त किये जाने के आदेश जारी किये गये थे, के क्रम में वित्त विभाग (नियम) शासन सचिवालय, जयपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.12 (6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री बजरंग सिंह शेखावत, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(भास्कर शर्मा)

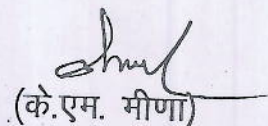
निदेशक

दिनांक:- 27.07.15

क्रमांक:- एफ.2 (क) (बी-256) अलेसे-1/ 6935-43

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, जयपुर।
2. निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग जयपुर।
3. श्री बजरंग सिंह शेखावत, सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड-I, कार्यालय स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग जयपुर।
4. उपनिदेशक (एसीपी) मु. को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में इन्द्राज हेतु।
5. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक महोदय।
6. निजी पत्रावली/गोपनीय शाखा/पदस्थापन सीट/गार्ड फाइल।


(के.एम. मीणा)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)